तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट भागचन्द बनाम तहसीलदार 2018/00135	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ

पीठासीन अधिकारी
श्री शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

उपस्थिति –

श्री प्रहलादराम मिर्धा अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री घासीराम कड़वा राजपैरोकार (तहसीलदार परबतसर)

निर्णय

23.07.2021

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस सुनी गई। प्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी 1, 2, 3 की खातेदारी सुदा भूमि ग्राम शिवनगर के खसरा नम्बर 1073 रकबा 3.71 हैक्टयर है, अप्रार्थीगण संख्या 5 से 8, 10 से 12 व अप्रार्थी 14 से 20 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1017 रकबा 4.20 हैक्टयर व खसरा नम्बर 1030 रकबा 2.17 हैक्टयर जो अप्रार्थीगण 25 से 30 की खातेदारी में तथा खसरा नम्बर 1031 रकबा 1.04 हैक्टयर भूमि जो अप्रार्थी 27 की खातेदारी में दर्ज है प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम शिवनगर के खसरा नम्बर 1017 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 1030, 1031 में पूर्वी सीव पर दक्षिण से उत्तर में 14 फुट चौडाई में रास्ता घोषित किये जाने की इस्तदुआ की है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी 1 से 12 व 14 से 28 के नोटिस दिनांक 13.08.2016 को तामील सुदा प्राप्त होने के बावजूद बार – बार अवाज लगाये जाने पर अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई, दिनांक 09.04.2019 को प्रतिवादी 13 का नोटिस रजिस्ट्रर्ड एडी से तामील होकर रसीद प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षी कार्यवाही अमल में लायी गई। तहसीलदार परबतसर ने अपने पत्रांकः राजस्व/118 दिनांक 07.02.2020 को मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने पर शामिल पत्रावली की गई।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई पत्रावली एंव पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस एवं विधि के सुसंगत प्रावधानों पर मनन किया गया।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी सम्वत 2075–78 की जमाबन्दी पेश की है जिसके अनुसार ग्राम शिवनगर के खसरा नम्बर 1073 रकबा 3.71 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, इसी प्रकार खसरा नम्बर 1017 व 1030, 1031 अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

सुदा भूमि के उपयोग उपभोग हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी सुदा भूमि में से रास्ते की मांग की है। अप्रार्थीगण ने विधिवत रूप से नोटिस तामील होने के बाजवूद प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर कोई एतराज नहीं किया है न ही स्वंय एवं जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर एतराज पेश किया है। मौका कमीश्नर तहसीलदार परबतसर ने भी अपनी रिपोर्ट में खसरा नम्बर 1017, 1030 एवं 1030 में से प्रार्थीगण की खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 1073 तक रास्ता प्रस्तावित किया है तथा मौके पर चालू होना अंकित किया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रेकार्ड एवं तहसीलदार परबतसर की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम शिवनगर के खसरा नम्बर 1073 प्रार्थीगण की खातेदारी सुदा भूमि है जिसमें आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है न ही कोई अन्य रास्ते का विकल्प मौजूद है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 251ए में भी यह प्रतिपादित किया गया है कि किसी काश्तकार की खातेदारी सुदा भूमि जिसके चारो तरफ कोई रास्ता नहीं लगता है ना ही कोई रास्ते का विकल्प हो, तो सबसे नजदीकी कटाणी रास्ते से उसकी खातेदारी सुदा भूमि के उपयोग उपभोग हेतु रास्ता दिया जा सकता है। उक्त प्रकरण में तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार जो रास्ता प्रस्तावित किया गया है के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है ना ही कोई रास्ते का विकल्प मौजूद है, जो रास्ता प्रस्तावित किया गया है उसका प्रतिवादीगण ने भी कोई एतराज पेश नहीं किया है। जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर तहसीलदार परबतसर की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित ग्राम शिवनगर के खसरा नम्बर 1017, 130, 1030 में से खसरा नम्बर 1073 तक आवागमन हेतु 4 मीटर चौड़ा रास्ता अप्रार्थीगण की खातेदारी से कम कर गै.मु. कटाणी रास्ता राजकीय खाते में घोषित किया जाता है। मौका रिपोर्ट में वर्णित नाप–चौप के अनुसार जो भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी से कम कर गै.मु. कटाणी रास्ता दर्ज किया जावे। अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से रास्ते में गई भूमि के बदले वर्तमान डी.एल.सी. दर से गणना करते हुए दो गुणा राशि अप्रार्थीगण को उनकी वर्तमान खातेदारी में दर्ज हक हिस्से अनुसार भुगतान किया जावे। तहसीलदार परबतसर को तहरीर जारी हो। यह आदेश आज दिनांक 23.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखित दफतर हो।

23/7/21

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

(10) प्रभूदयाल पुत्र भांवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी गूलर